**ग्राहक शिक्षा साहित्य दस्तावेज़ - अग्रिमों के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न**

### 1. 'देय राशि' का क्या अर्थ है?

'देय राशि' से तात्पर्य मूलधन/ब्याज/ऋण खाते पर लगाए गए किसी भी प्रभार से है, जो ऋण सुविधा की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय है.

### 2. 'अतिदेय' क्या है?

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है, यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख पर नहीं किया जाता है. उधारकर्ता के खातों को बैंक द्वारा नियत तारीख को अपनी दिनांत प्रक्रियाओं के अंतर्गत अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाओं को निष्पादित करने का समय जो भी हो.

### 3. विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए)

बैंक, ऋण खातों में चूक होते ही उसमें उत्पन्न प्रारंभिक दबाव की पहचान करते हुए ऐसी आस्तियों को विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करेगा.

| **परिक्रामी सुविधाओं से इतर ऋण** | | **परिक्रामी सुविधाओं, जैसे नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट, के मामले में** | |
|---|---|---|---|
| एसएमए उप-श्रेणियाँ | वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान अथवा कोई अन्य राशि, जो पूर्णतः या आंशिक रूप से निम्न अवधि के बीच अतिदेय हो | एसएमए उप-श्रेणियाँ | वर्गीकरण का आधार - बकाया शेषराशि, मंजूर सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से लगातार निम्न अवधि तक अधिक रहे: |
| एसएमए-0 | 30 दिनों तक | - | - |
| एसएमए-1 | 30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक | एसएमए-1 | 30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक |
| एसएमए-2 | 60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक | एसएमए-2 | 60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक |

एसएमए/एनपीए की तारीख, उस कैलेंडर तारीख के दिनांत पर खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति दर्शाएगी.

एसएमए वर्गीकरण सभी ऋणों (फसल मौसम-आधारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों द्वारा शासित कृषि अग्रिमों को छोड़कर) पर लागू होता है, जिनमें खुदरा ऋण भी शामिल हैं, चाहे राशि कुछ भी हो.

### 4. अनर्जक आस्ति क्या है?

अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है, जिससे बैंक के लिए आय अर्जित होनी बंद हो जाती है.
अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है, जिसमें;

क. मीयादी ऋण के संबंध में, मूलधन की किस्त और/या ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय रहता है,

ख. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में, खाता आगे परिभाषित 'अनियमित (आउट ऑफ ऑर्डर)' स्थिति में रहता है,

ग. खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय रहता है,

घ. अल्पावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसमों तक अतिदेय रहता है,

ङ. दीर्घावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल मौसम तक अतिदेय रहता है,

च. आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025 RBI/DOR/2025-26/160 DOR.STR.REC.79/21.04.177/2025-26, दिनांक 28 नवंबर 2025 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में, चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है.

छ. डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य को दर्शाने वाली अतिदेय प्राप्य राशियाँ, यदि भुगतान की निर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती हैं.

ज. क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक माना जाएगा, यदि विवरण में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि का पूरा भुगतान, विवरण में उल्लिखित देय तारीख से 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है.

**5. नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट खाते में 'अनियमित' स्थिति क्या है?**

नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट खाते को 'अनियमित' माना जाएगा, यदि:

i. सीसी/ओडी खाते में बकाया शेष 90 दिनों तक लगातार मंजूर सीमा/आहरण शक्ति से अधिक रहता है, या

ii. सीसी/ओडी खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण शक्ति से कम है, किंतु 90 दिनों तक लगातार कोई जमा प्रविष्टि नहीं होती है, अथवा सीसी/ओडी खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण शक्ति से कम है, किंतु जमा 'पिछले 90 दिनों की अवधि' के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

''पिछले 90 दिनों की अवधि' में वह दिन भी शामिल होगा जिसके लिए दिनांत प्रक्रिया चलाई जा रही है.

**6. वे अन्य कौन-सी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें ऋण खाते/अग्रिम को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है?**

उपर्युक्त बिंदु संख्या 4 में उल्लिखित बातों के अतिरिक्त, आरबीआई के मास्टर परिपत्र के कुछ विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार, अस्थायी कमी वाले खातों, प्रतिभूति के मूल्य में ह्रास/उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी वाले खातों और पुनर्रचना पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के मामलों में भी किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है.

- **लंबित नवीकरण:**
  नियमित और तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा/नियमितीकरण, देय तारीख/तदर्थ मंजूरी की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाना आवश्यक है. ऐसे खाते, जिनकी नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण देय तारीख/तदर्थ मंजूरी की तारीख से 180 दिनों के भीतर नहीं किया गया है, एनपीए माने जाएंगे.
- **स्टॉक और बही ऋण विवरण प्रस्तुत न करना**

  कार्यशील पूंजी उधार खाते को स्टॉक और बही ऋण के दृष्टिबंधक के सापेक्ष मंजूर किया जाता है. ऋणदाता को खाते के अंतर्गत परिकलित आहरण शक्ति निर्धारित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए उधारकर्ता को समय-समय पर स्टॉक और बही ऋण विवरण प्रस्तुत करने होते हैं. तीन महीने से अधिक पुराने स्टॉक और बही ऋण विवरणों से परिकलित आहरण शक्ति के आधार पर खाते में बकाया राशि को 'अनियमित' माना जाएगा. यदि ऐसी अनियमितता 90 दिनों की निरंतर अवधि तक बनी रहती है, तो खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.
- सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋणों और कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के लिए आईआरएसीपी दिशानिर्देश, आरबीआई निदेश (आईआरएसीपी) 2025, RBI/DOR/2025-26/164 DOR.STR.REC.83/21.04.048/2025-26, और 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) पर विवेकपूर्ण मानदंड, दिनांक 28 नवंबर 2025 (दिनांक 01 जनवरी 2026 तक अद्यतन)' के अनुसार समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित रूप में, तथा आरबीआई निदेश (दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) 2025, RBI/DOR/2025-26/165 DOR.STR.REC.84/21.04.048/2025-26, दिनांक 28.11.2025 (दिनांक 01 जुलाई 2026 तक अद्यतन) द्वारा शासित होंगे.

**7. क्रेडिट कार्ड खाते को एनपीए के रूप में कब वर्गीकृत किया जाता है?**

यदि विवरण में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि का पूरा भुगतान, विवरण में उल्लिखित देय तारीख से 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक माना जाएगा.

**8. अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:**

क. बैंक दिनांत प्रक्रिया के दौरान खातों को दैनिक और निरंतर एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया अपनाता है.

ख. एनपीए वर्गीकरण उधारकर्ता के आधार पर होता है, न कि खाते के आधार पर. इसलिए, यदि उधारकर्ता का एक ऋण खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उधारकर्ता के अन्य सभी ऋण खाते भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे.

ग. आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया अपनाते समय दिनांत प्रक्रिया से पहले प्राप्त जमा राशियों को अतिदेय की गणना के लिए ध्यान में रखा जाता है. इसके बाद प्राप्त किसी भी जमा राशि को अगले दिन की प्राप्ति माना जाता है. इसलिए, यह सलाह सदैव दी जाती है कि जिस बैंक खाते के माध्यम से ऋण की चुकौती की जाती है, उसमें एक दिन पहले ही पर्याप्त धनराशि बनाए रखें.

घ. उधारकर्ता के स्तर पर एसएमए/एनपीए की रिपोर्टिंग विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार होती है और इस प्रकार, उधारकर्ता के किसी एक खाते में अतिदेय राशि होने से, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता की एसएमए या एनपीए के रूप में रिपोर्टिंग होगी.

ङ. मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को समय-समय पर खाते की रिपोर्ट बड़े ऋणों के केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी), ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) आदि को एसएमए/एनपीए के रूप में करनी होती है, जिसका उधारकर्ता के ऋण रिकॉर्ड (हिस्टरी) पर प्रभाव पड़ता है.

च. ऋण सुविधा प्राप्त करते समय उधारकर्ता यह सुनिश्चित करे कि किस्त/ब्याज का भुगतान देय तारीख पर स्वचालित माध्यम, जैसे यदि खाता किसी अन्य बैंक में है तो ई-एनएसीएच से किया जाए, अथवा यदि ऋण उसी बैंक से लिया गया है जिसमें खाता है तो बैंक को स्थायी अनुदेश दिए जाएँ.

**9. एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का अपग्रेडेशन:**

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' आस्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जाता है, जब उधारकर्ता द्वारा सभी ऋण सुविधाओं से संबंधित ब्याज और मूलधन की संपूर्ण अतिदेय बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है. इसके अतिरिक्त, खाते की समीक्षा/नवीकरण और स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने जैसी अन्य लंबित अनियमितताओं को भी अपग्रेडेशन के लिए ठीक किया जाना आवश्यक है. पुनर्रचना, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) प्राप्त न होने आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के अपग्रेडेशन के संबंध में, विशिष्ट विनियामकीय परिपत्र के अनुसार अनुदेश लागू रहेंगे.

**10. यदि खाता दबावग्रस्त/एनपीए हो जाता है, तो उधारकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है?**

विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को समय-समय पर दबाव/चूक/एनपीए की रिपोर्ट बड़े ऋणों के केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी), ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) आदि को करनी होती है, जिसका उधारकर्ताओं के ऋण रिकॉर्ड और उससे जुड़े परिणामों पर प्रभाव पड़ता है. इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा वसूली कार्रवाई, जिसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल है, आरंभ की जाएगी.

**दिनांत प्रक्रिया में देय राशि के भुगतान में विलंब/गैर-भुगतान के आधार पर किसी खाते का एसएमए श्रेणी से एनपीए श्रेणी में जाने और तत्पश्चात मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन का उदाहरणात्मक विवरण**

| भुगतान की देय तारीख | भुगतान की तारीख | भुगतान में शामिल देय राशि | सबसे पुरानी देय राशि की अवधि | एसएमए/ एनपीए वर्गीकरण | एसएमए की तारीख/एसएमए वर्गीकरण की तारीख | एनपीए वर्गीकरण | एनपीए की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 01.01.2026 | दिनांक 01.01.2026 तक की संपूर्ण देय राशि | 0 | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.02.2026 | 01.02.2026 | दिनांक 01.02.2026 की आंशिक रूप से चुकाई गई देय राशि | 1 | एसएमए-0 | 01.02.2026 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.02.2026 | 02.02.2026 | दिनांक 01.02.2026 की आंशिक रूप से चुकाई गई देय राशि | 2 | एसएमए-0 | 01.02.2026 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.03.2026 | - | दिनांक 01.02.2026 की देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हुआ. दिनांक 01.03.2026 की राशि भी दिनांक 01.03.2026 के दिनांत में देय है | 29 | एसएमए-0 | 01.02.2026 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.03.2026 | - | दिनांक 01.02.2026 की देय राशि का पूर्ण भुगतान हो गया, दिनांक 01.03.2026 की देय राशि का दिनांक 01.03.2026 के दिनांत तक भुगतान नहीं हुआ | 1 | एसएमए-0 | 01.03.2026 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| - | - | दिनांक 01.02.2026 और 01.03.2026 की संपूर्ण देय राशि का दिनांक 03.03.2026 के दिनांत तक भुगतान नहीं हुआ | 31 | एसएमए-1 | दिनांक 01.02.2026 / 03.03.2026 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| - | - | दिनांक 01.02.2026 की देय राशि का पूर्ण भुगतान हो गया, दिनांक 01.03.2026 की देय राशि का दिनांक 01.03.2026 के दिनांत तक पूर्ण भुगतान नहीं हुआ | 1 | एसएमए-0 | दिनांक 01.03.2026 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.04.2026 | - | दिनांक 01.02.2026, 01.03.2026 की देय राशि और दिनांक 01.04.2026 को देय राशि का दिनांक 01.04.2026 के दिनांत तक भुगतान नहीं हुआ | 60 | एसएमए-1 | दिनांक 01.02.2026 / 03.03.2026 | लागू नहीं | लागू नहीं |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | दिनांक 01.02.2026 की देय राशि का दिनांक 01.04.2026 के दिनांत तक भुगतान नहीं हुआ | 61 | एसएमए-2 | दिनांक 01.02.2026 / 02.04.2026 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 01.05.2026 | - | दिनांक 01.02.2026 की देय राशि का दिनांक 01.05.2026 के दिनांत तक भुगतान नहीं हुआ | 90 | एसएमए-2 | दिनांक 01.02.2026 / 02.04.2026 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| - | - | दिनांक 01.02.2026 की देय राशि का दिनांक 02.05.2026 के दिनांत तक भुगतान नहीं हुआ | 91 | एनपीए | लागू नहीं | एनपीए | 02.05.2026 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | दिनांक 01.02.2026 की देय राशि का दिनांक 01.06.2026 के दिनांत तक पूर्ण भुगतान हो गया | 93 | एनपीए | लागू नहीं | एनपीए | 02.05.2026 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | दिनांक 01.03.2026 और 01.04.2026 की संपूर्ण देय राशि का दिनांक 01.07.2026 के दिनांत तक भुगतान हो गया | 62 | एनपीए | लागू नहीं | एनपीए | 02.05.2026 |
| 01.08.2026 | 01.08.2026 | दिनांक 01.05.2026 और 01.06.2026 की संपूर्ण देय राशि का दिनांक 01.08.2026 के दिनांत तक भुगतान हो गया | 32 | एनपीए | लागू नहीं | एनपीए | 02.05.2026 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | दिनांक 01.07.2026 और 01.08.2026 की संपूर्ण देय राशि का दिनांक 01.09.2026 के दिनांत तक भुगतान हो गया | 1 | एनपीए | लागू नहीं | एनपीए | 02.05.2026 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | दिनांक 01.09.2026 और 01.10.2026 की संपूर्ण देय राशि का भुगतान हो गया | 0 | दिनांक 01.09.2026 और 01.10.2026 की संपूर्ण देय राशि का भुगतान | लागू नहीं | मानक | 01.10.2026 |

***